

505 (7)

स्वास्थ्य विभाग

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 12/03/2025

महाशय,

2— उक्त प्रसंग में NHM अन्तर्गत Implementation of Infrastructure Maintenance, a Centrally Sponsored Plan Scheme मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 2,53,00,00,000 /— (रुपये दो अरब तिरपन करोड) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,68,66,66,667 /— (रुपये एक अरब अडसठ करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 4,21,66,66,667 /— (रुपये चार अरब इक्कीस करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र सहायक अनुदान मद में से वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यांश मद की कुल राशि 1,68,66,66,667 /— (रुपये एक अरब अडसठ करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र विभागीय राज्यादेश सख्या— 504/7 दिनांक— 12/03/2025 सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवटन प्रदान की जाती है।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt. of India (2024-25)					
Sl. No.	Letter No.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%	Total
Implementation of Infrastructure Maintenance, a centrally sponsored Plan Scheme					
1	Implementation of Infrastructure Maintenance, a Centrally Sponsored Plan Scheme				
2	G 27017/4(4)/2013-NRHM (Finance)/128630)	04 10 2024	2,53,00,00,000	1,68,66,66,667	4,21,66,66,667
	Total		2,53,00,00,000	1,68,66,66,667	4,21,66,66,667

4- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा -

- (i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-राहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 13,92,98,68,000/- (तेरह अरब बानबे करोड अन्तानबे लाख अडसठ हजार) मात्र में से रु० 16,95,17,334/- (रुपये सोलह करोड पंचानवे लाख सत्रह हजार तीन सौ चौतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत राज्यांश मद में मांग की गई राशि मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 13,92,98,68,000/- (तेरह अरब बानबे करोड अन्तानबे लाख अडसठ हजार) मात्र में से रु० 1,15,16,80,667/- (रुपये एक अरब पन्द्रह करोड सोलह लाख अस्सी हजार छः सौ सडसठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष 31-04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 38,85,92,000/- (रुपये अडतीस करोड पच्चासी लाख बिरानवे हजार) मात्र में से 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 2,04,40,58,000/- (रुपये दो अरब चार करोड चालीस लाख अंठावन हजार) मात्र में से रु० 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

- (iv) SC के अधिसूचित विपत्र कोड के तहत राज्याश मद में माग की गई शेष राशि माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 13,92,98,68,000/-** (तेरह अरब बानबे करोड अन्तानबे लाख अडसठ हजार) मात्र में से रु० 4,84,59,333/- (रूपये चार करोड चौरासी लाख उनसठ हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) ST के अधिसूचित विपत्र कोड के राज्याश मद में माग की गई राशि अनुपलब्ध होने के कारण उपयुक्त राशि माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 13,92,98,68,000/-** (तेरह अरब बानबे करोड अन्तानबे लाख अडसठ हजार) मात्र में से रु० 1,70,09,333/- (रूपये एक करोड सत्तर लाख नौ हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

5- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र स०-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA में राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगे-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

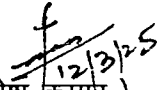
7-- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या-7/बजट-46-12/2021 के पृष्ठ-179 /टि० पर प्राप्त है।

9- यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र स०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि०(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि०(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

- 10— प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
11— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
12— राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021- 505 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक- 12/03/2025

प्रतिलिपि— महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

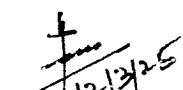
प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न० 331 -सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Micknd